संख्या-15/2020/06जी0आई0/86-2019

प्रेषक,

वीना कुमारी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग   लखनऊ, दिनांक-31 दिसम्बर, 2019

विषयः निजी भूमि के स्वामियों को उनकी भूमि से सम्बन्धित उपखनिजों के खनन हेतु खनन अनुज्ञा-पत्र/खनन पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर श्री अनिल कुमार नायक, आई.ओ.एफ.एस., संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-16/64/2019-M.VI, दिनांक 17.12.2019 (छायाप्रति संलग्न) तथा शासनादेश संख्या-2025/86-2019-57(सा0)/2017, दिनांक 30.08.2019 व शासनादेश संख्या-2026/86-2019-57(सा0)/2017, दिनांक 30.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र दिनांक 17.12.2019 में निजी भूमि के स्वामियों को उनकी भूमि से सम्बन्धित उपखनिजों के सम्बन्ध में खनन अनुज्ञा/खनन पट्टा प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश की उपखनिज (परिहार) नियमावली में आवश्यक संशोधन किए जाने की अपेक्षा की गयी है तथा प्रश्नगत खनन अनुज्ञा/पट्टा दिये जाने को स्थानीय रोजगार, खनिज की उपलब्धता व राजस्व प्राप्ति में वृद्धि आदि की दृष्टि से उपयोगी बताया गया है। अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली, 1963 में अधिसूचना दिनांक 13.08.2019 द्वारा किये गये 47वें संशोधन के माध्यम से आवश्यक प्राविधान पहले ही किए जा चुके हैं। उक्त के अनुपालन हेतु शासनादेश संख्या-2025/86-2019-57(सा0)/2017, दिनांक 30.08.2019 द्वारा निजी भूमि में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध स्वस्थानें चट्टान किस्म के उपखनिज व शासनादेश संख्या-2026/86-2019-57(सा0)/2017, दिनांक 30.08.2019 द्वारा नदी तल स्थित निजी भूमि में मिश्रित अथवा अलग-अलग उपलब्ध उपखनिज बालू/मौरम/बोल्डर के रिक्त क्षेत्रों को ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश समस्त जिलाधिकारी को निर्गत किए गये है।

3. अतः उक्तानुसार निजी भूमि के स्वामियों को उनकी भूमि से सम्बन्धित उपखनिजों के सम्बन्ध में खनन पट्टा प्रदान किए जाने हेतु प्राथमिकतापूर्वक नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(वीन कुमारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या' 06जी0आई0 (1)/86-2019, दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 325, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को उनके पत्र दिनांक 17.12.2019 के सन्दर्भ में प्रश्नगत कृत नियमावली संशोधन व निर्गत शासनादेश दिनांक 30.08.2019 की छायाप्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित। संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।

अनिल कुमार नायक, आईओएफएस
Anil Kumar Nayak, IOFS
संयुक्त सचिव
Joint Secretary

सत्यमेव जयते

0644/8619

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
खान मंत्रालय
MINISTRY OF MINES
325, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110 001
325, 'A' WING , SHASTRI BHAWAN
NEW DELHI-110 001
Tel. : 2338 4334
Email : anil.nayak@nic.in

D.O. No. 16/64/2019-M.VI
December 17th, 2019

Dear Smt. Veena Kumari Meena,

I would like to draw your attention to the vision of Hon'ble Prime Minister for achieving the infrastructure targets in Energy and Mining Sector. Following the Hon'ble Prime Minister's vision, the Ministry of Mines is taking continuous efforts to conceptualize the reforms in mining sector.

2. To allow minor mineral license for landowners is also one of the ideas which can bring reforms in mining sector as this not only helps to provide employment to the local community but also helps to expedite the grant of minor mineral lease, given that minor minerals are found in small piece of land and the land vests with the private land owners in most of the State Governments.

3. Needless to say that the Section 15 of the Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957 devolves the responsibility of administering and regulating minor minerals upon the State Government. Secondly, 'land' is a subject matter that comes under the State List of the Constitution including 'rights in and over land' in item 18.

4. Since the States are empowered to take all necessary action with respect to minor mineral, I would like to request you to make necessary provisions in your State Minor Mineral Concession Rules to allow minor mineral license for landowners so that the above target of reforms in mining sector may be achieved.

5. I would also like to request if the same is already incorporated in your minor mineral concession rules, let the Ministry of Mines be informed.

6. A line in agreement with the above proposal will be highly appreciated.

With regards

Yours sincerely,

(Anil Kumar Nayak)

Smt. Veena Kumari Meena
Principal Secretary
Department of Mines & Geology,
Govt. of Uttar Pradesh,
9, Bahukhandi Bhawan, Sectt.
Lucknow-226001.